कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांकः समिति/2014/02 दिनांकः 14.07.2014

–: विज्ञप्ति :–

करौली न्यायक्षेत्र में 09 (नौ) अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदो एवं भविष्य में होने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संभावित रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवायें(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे– बैण्ड–पी.बी.–1– 5200–20200 + ग्रेड पे 1700/–रुपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ–11(7)एफ.डी.(नियम)/2008 दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित नियम 2013 के नियम 21 के तहत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/–रुपये प्रतिमाह पर बतौर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं । इन उपरोक्त 09 (नौ) पदो में से एक पद अनुसूचित जाति संवर्ग, दो पद अनुसूचित जन जाति संवर्ग, एक पद अन्य पिछड़ा संवर्ग तथा पांच पद अनारक्षित सामान्य संवर्ग के है । उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है । इन रिक्त पदो पर भर्ती में महिलाओं, निःशक्तजन व अन्य को आरक्षण नियमानुसार देय होगा । उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु) के पद हेतु आवेदन करने वालो के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यता तथा शर्ते लागू होगी :–

01. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम,1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

02. आयु : आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, निःशक्तजन, महिलाएं, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं आदि को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी ।

03. शैक्षणिक योग्यता : उक्त पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है । इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है ।

04. चरित्र : (1) –आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के सम्बन्ध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के (जो उसके रिश्तेदार न हो) के दो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास पूर्व के न हो।

(2)– प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्व किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि आवेदक के विरूद्व कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा । आवेदक उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा ।

05. शारीरिक योग्यता : आवेदक को शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और आवेदक का इस पद के लिए चयन होने पर उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा– प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

06. संतान सम्बन्धी सूचना : शासन सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक :10(3)/कार्मिक/ क–2/75/पार्ट–II दिनांक 29.10.2004 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या जनरल/19/मि./1245/2004/1816 दिनांक 30.11.04 के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने का घोषणा का संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

07. विवाह पंजीयन : राज्य सरकार के परिपत्र संख्याः प.7(3) कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख किया जावेगा व आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की जावेगी तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के संलग्न प्रारुप–6 में 10/–रुपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

08. पेंशन योजना : राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.15(7) एफ.डी.(रुल्स)97/ दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ–12 दिनांक 13.3.2006 एवं दिनांक 12.9.2008 के अन्तर्गत इस पद पर नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले आवेदक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटैन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण सभी नये नियम लागू होगें ।

09. आवेदन पत्रः आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या–14 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न करने होगे। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो

लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगें । इसके अलावा आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होगें ।

10. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि : आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांय 5.00 बजे तक " जिला एवं सैशन न्यायालय, करौली " में आवश्यक रुप से पहुंच जाने चाहिये । राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। इस विज्ञप्ति से पूर्व में प्राप्त एवं इस विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा । इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा ।

11. साक्षात्कार : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदको के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जावेगें उन आवेदको के साक्षात्कार हेतु सूची दिनांक **18.08.2014** को **" जिला एवं सैशन न्यायालय, करौली (राज0) "** के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी तथा इस संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेबसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर अपलोड कर दी जावेगी तथा इन आवेदको के साक्षात्कार दिनांक **13.09.2014 को 9.00 ए.एम.** से तथा अभ्यर्थीगण की संख्या अधिक होने पर दिनांक **14.09.2014** को भी उक्त निर्धारित समय से " **जिला न्यायालय, करौली परिसर** " में लिये जावेंगे, जिसकी सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी तथा न ही इस साक्षत्कार हेतु किसी आवेदक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय होगा । उपरोक्त साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार के एक दिन पहले इसकी सूचना "कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायालय, करौली (राज0)" के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा इस संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेबसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर अपलोड कर दी जावेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेवारी आवेदक स्वयं की होगी व इस बाबत आवेदक को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।

12. अंतिम परिणाम :–

साक्षात्कार होने की दिनांक से 07 दिवस में अंतिम परिणाम घोषित किया जावेगा जिसके संबंध में सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा उक्त संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेवसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर अपलोड कर दी जावेगी ।

13. अन्यः–

1. जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को उत्तीर्ण घोषित करवाने की कोशिश करेगा, उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
2. अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए इस कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता या किसी प्रकार की राशि नहीं दी जायेगी।
3. एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे विवाहित पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहली पत्नी जीवित हो और उस पहली जीवित पत्नी का विधिवत् तलाक न हुआ हो, इस परीक्षा में बैठने के लिए एवं आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में घोषणा पत्र आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।
4. विवाहित आवेदक जिसने शादी के समय किसी भी प्रकार का दहेज लिया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसा आवेदक चाहे स्त्री हो या पुरुष विवाहित आवेदक दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
5. ऐसे आवेदक जिन्हें किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए अथवा नियोजन अधिकारी द्वारा अयोग्य (Debar)घोषित किया गया हो अथवा किसी विभाग द्वारा नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, वह इस परीक्षा में बैठने के लिए व आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त प्रकार अयोग्य (Debar) घोषित नहीं होने के संबंध में घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
6. इस पद हेतु साक्षात्कार की तिथियों में परिवर्तन किये जाने पर उसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी तथा इस संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेवसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर अपलोड कर दी जावेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
7. इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने अथवा उसके निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन करने व किसी भी प्रकार की अस्पष्टता आदि के बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को पूर्ण अधिकार रहेगा ।
8. जो अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेना चाहते है उन्हें संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को सामान्य संवर्ग का माना जावेगा ।

14. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:–

I. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
II. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
III. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
IV. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हों।
V. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगावें, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।

VI. आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

VII. जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05. 2006 को या इसके बाद हुआ है,उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी । यदि आवेदक अविवाहित है या उसका विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो, सलंग्न करना होगा।

VIII. इस विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार संतान संबंधी शपथ–पत्र 10/–रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर जो राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो, संलग्न करें ।

IX. इस विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 13 के बिन्दु 3, 4, 5 के अनुसार घोषणा पत्र, जो राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो ।

X. ऐसे आवेदक जो किसी भी प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।

XI आवेदक का जिला नियोजन कार्यालय में पंजीयन होने के प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि यदि कोई हो तो ।

उपरोक्त दस्तावेजात/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकेंगे ।

उपरोक्त सभी प्रलेख एवं प्रमाण–पत्र आदि की सूची आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे ।

Sd/-
अध्यक्ष
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती समिति,
जिला एवं सैशन न्यायालय,
करौली (राज0)

क्रमांकः समिति/2014/ 56-108 दिनांकः 14.07.2014

प्रतिलिपिः–

01. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
02. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
03. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
04. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, करौली न्यायक्षेत्र ....
05. जिला कलक्टर, करौली/जिला पुलिस अधीक्षक, करौली
06. जिला नियोजन अधिकारी, करौली
07. जिला जनसंपर्क अधिकारी, करौली
08. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, करौली
09. संबंधित पत्रावली.

अध्यक्ष
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती समिति,
जिला एवं सैशन न्यायालय,
करौली (राज0)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

{ विज्ञप्ति क्रमांक : .... }

आवेदक का
नवीनतम
फोटो मय हस्ताक्षर
जो
राजपत्रित अधिकारी
से प्रमाणित हो

(1) नाम आवेदक : ....

(2) पिता / पति का नाम : ....

(3) जाति : ....

(4) आरक्षित वर्ग का नाम (यदि लागू हो) : ....

(5) स्थायी पता : ....
....
....

(6) वर्तमान पता : ....
....
....

(7) निकटतम पुलिस स्टेशन : ....

(8) जन्म तिथि (अंको में) : ....
(शब्दो में) : ....

(9) दिनांक 01.01.11 को आयु : वर्ष .... माह .... दिन ....

(10) शैक्षणिक योग्यता : ....

(11) वर्तमान नियुक्ति,यदि कोई हो, पद,सेवा की अवधि एवं पदनाम : ....

(12) अग्रेषण अधिकारी का नाम,पदनाम यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है : ....

(13) राष्ट्रीयता : ....

(14) नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व इसकी वैधता तिथि (यदि हो) : ....

स्थान :.......................
दिनांक :....................

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

–: नमूना प्रपत्र :–

दोष सिद्धि नहीं होने के बारे में शपथ पत्र
दस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर

मैं, ...पुत्र ....उम्र .... .वर्ष ....

जाति .... निवासी .... तहसील ....जिला ....

शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे खिलाफ कोई दाण्डिक मामला संस्थित अथवा न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

स्थान :
दिनांक :

शपथ ग्रहिता
( )

सत्यापन

मैं, ... उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान :
दिनांक :

शपथ ग्रहिता
( )

–: नमूना प्रपत्र :–

प्रपत्र – 6

–: शपथ पत्र :–

{ दस रुपये के नॉन – ज्युडिशियल स्टाम्प पर }

मैं.......................................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती..
उम्र....................जाति....................... निवासी.......................... तहसील................
जिला....................... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ / करती हूँ कि :–

मेरा विवाह श्रीमती / श्री.................................. निवासी........................... के साथ सम्पन्न हुआ था, परन्तु उक्त विवाह अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक..................को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है ।

या

मेरा विवाह श्रीमती / श्री.. निवासी............................... के साथ दिनांक................................ को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है ।

या

मैं .... अविवाहित हूँ ।

या

मैं .... विधुर / तलाकशुदा / विधवा हूँ (पत्नी / पति) श्री / श्रीमती.................................. थी / था एवं जिसका देहांत दिनांक .... को हो गया ।

स्थान :

दिनांक : शपथ ग्रहिता

( )

<u>सत्यापन</u>

मैं, ... उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान : शपथ ग्रहिता

दिनांक : ( )

–: नमूना प्रपत्र :–

संतान के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ पत्र दस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी ....उम्र ....वर्ष जाति ....निवासी .... तहसील ....जिला .... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.6.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है ।

या

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी ....उम्र ....वर्ष जाति ....निवासी ....तहसील ....जिला....................... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं अभी अविवाहित हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता
(   )

सत्यापन

मैं, ... उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान :

शपथ ग्रहिता

दिनांक :

(   )